<u>जन सूचना के अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देश</u>

भारत के राजपत्र भाग-IV में नाम सुधार/लिंग परिवर्तन , नाबालिग के गोद लेने को रद्द करने पुर्नविवाह करने पर बच्चों तथा पिता का नाम परिवर्तन करने इत्यादि के सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के लिए सूचना ।

भारत के राजपत्र भाग-**IV** में जन सूचना के विज्ञापन के प्रकाशन लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है-

(i) आवेदक द्वारा विधिवत स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र

(ii) समाचार पत्र की मूल प्रति

(iii) आवेदक के विधिवत हस्ताक्षर करके तथा निर्धारित स्थान पर दो साक्षियों के हस्ताक्षर युक्त विधिवत टाइप किया गये निर्धारित प्रोफार्मो की दो प्रतियॉ ।

(iv) एम एस वर्ड में बिना साक्षी भाग की मुद्रित सामाग्री समाविष्ट सी. डी.

(v) स्व सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकापी (स्व सत्यापित)

(vi) आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गयी हो कि हार्ड कापी तथा सॉफ्ट कापी की विषय सूची समान है ।

(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र ।

वह अध्यापक जो भारत के राजपत्र भाग-IV में सार्वजनिक सूचना के विज्ञापन को प्रकाशित करना चाहता/चाहती है, उसे इस प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन करना होगा ।

1. विज्ञापन की सामग्री किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित होनी चाहिए जिसमें केस का सारा ब्यौरा दिया गया हो ।

2. आवेदक को विधिवत हस्ताक्षरित शपथ पत्र देना होगा जिसमें उसके आवासीय पते सहित उसका सही तथा गलत नाम उसके पिता/पति का आवसीय पते सहित पूरा ब्यौरा दिया हो साथ ही यह भी विवरण दिया हो कि इनमें दिए तथ्य सत्य है तथा उसकी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सत्य है तथा उसकी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सत्य है ।

3. कृपया संलग्न नमूने में निर्धारित अनुसार, सभी तरह से पूर्ण मुद्रण सामग्री को अलग से सादें कागज पर टाइप कराकर तथा उस पर नाबालिग के अभिभावक से हस्ताक्षर करके तथा दो साक्षियों से हस्ताक्षर कराकर दो प्रतियों में साफ्ट प्रति के साथ (एम एस वर्ड में सी डी) भेजें । प्रपत्र कम्प्यूटर से टाइप होना चाहिए।

4. आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित 02 पासपोर्ट आकार की फोटो तथा आई डी प्रूफ की फोटोप्रति इन दोनों को स्वयं सत्यापित करके पासपोर्ट आकार की स्वय सत्यापित 02 फोटो जमा करायें ।

5. नाम परिवर्तन के प्रकाशन के लिए मुद्रण प्रभार 1300/- रु. (31 मार्च 2015 तक) मात्र है । यह धनराशि नकद अथवा प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 के पक्ष में देय डिमांड डाफ्रट/भारतीय पोस्टल आर्डर के जरिए अग्रिम भेजी जाए । आवेदक को संबंधित राजपत्र की एक प्रति भेजी जाएगी । आवेदक द्वारा कापी अथवा प्रचलित दरों पर आपूर्ति की जाएगी । यदि आवेदक स्वयं इस विभाग में आता है तो पूर्वोक्त दस्तावेजोंके साथ वह धनराशि भी नकद जमा करायें । विदेश स्थित भारतीयों के लिए भारत के राजपत्र में नाम परिवर्तन की लागत 3900/- रु. है (31 मार्च 2015 तक) जिसमें हवाई डाक प्रभार भी शामिल है ।

6. मुद्रण प्रभारों सहित पूर्वोक्त सभी काग़जात प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को संबोधित अग्रेषण पत्र के साथ इस विभाग को डाक द्वारा अथवा स्वयं भी आकर स्वंसत्यापित फोटो आई डी प्रूफ के साथ जमा किए जा सकते हैं । काग़जात एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।

7. इस विभाग में जमा कराये गए काग़जात मूल अथवा फोटो प्रति किसी भी स्थिति में वापिस नहीं की जाएंगी |

8. इस बारे मे मिलने का समय किसी भी कार्यदिवस को प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक है |

9. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ आई डी प्रूफ की स्वहस्ताक्षरित फोटो भेजे । स्वयं आकर जमा किए गए अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन ही स्वीकार किए जायेंगे । ऐजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे ।

10. आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें यह घोषणा की होगीकि हार्ड प्रति तथा साफ्ट प्रति में निहित विषयवस्त एक समान है । साथ ही उसे शपथ भी लेनी होगी कि आवेदन किसी भी असंगति अथवा पारावहन हुए नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा ।

11. सभी प्रकार से ठीक भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् निवेदनको संबंधित भारत के मुद्रणालय में अधिसूचित करनेके लिए भेज दिया जाएगा ।

12. संबंधित प्रेस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए यह विभाग जिम्मेवार नहीं होगा ।

13. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामाग्री के अस्वीकार कर सकता है ।

प्रकाशन नियंत्रक

<u>नाम सुधार के लिए नमूना प्रपत्र (सार्वजनिक सूचना)</u>

(विधिवत टाइप किया हुआ अथवा कम्प्यूटीकृत प्रिन्ट (2 प्रतियों में) तथा एम एस वर्ड में एक सी डी जमा करायें)

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

जन साधारण को यह सूचित किय जाता है मैं..
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...
निवासी...
एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा /मेरे पिता/मेरी माता/मेरा पुत्र/पुत्री/पत्नी/मेरे पति का नाम मेरी पुत्री/पुत्र केशैक्षिक दस्तावेजों में गलती से..
लिखा गया है । मेरे/मेरे पिता/मेरी माता/मेरे पति/मेरी पत्नी/मेरे पुत्र/ मेरी पुत्री का वास्तविक नाम क्रमशः...है जिसे तदनुसार संशोधित किया जाएं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है ।

(आवेदक का नाम)
(आवेदक के हस्ताक्षर)

साक्षी सं. 1.
हस्ताक्षर...पूरा नाम...
पता..
....
मोबाइल/दूरभाष नं0..

साक्षी सं. 2.
हस्ताक्षर......................................पूरा नाम..
पता..
....
मोबाइल/दूरभाष नं0..

<u>लिंग परिवर्तन हेतु नमूना प्रपत्र</u>

<u>जन सूचना</u>

जन साधारण को यह सूचित किय जाता है कि मैं.. निवासी.. पूर्व में...के सुपुत्र/सुपुत्री रूप में जाना जाता था तथा मैंने दिनांक..........................को.......................................डॉ0..के निरीक्षण में हुई सफल लिंग परिवर्तन शल्य चिकित्सा के पश्चात्...के रूप में अपना लिंग परिवर्तन करा लिया है ।

श्री/श्रीमती..निवासी... .... अब से..के रूप में जाना जाऊँगा ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने इस संबंध में अन्य कानूनी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

साक्षी सं. 1.
हस्ताक्षर..पूरा नाम...
पता..
....
मोबाइल/दूरभाष नं0..

साक्षी सं. 2.
हस्ताक्षर.......................................पूरा नाम..
पता..
....
मोबाइल/दूरभाष नं0..

<u>तलाक के पश्चात् पुर्नविवाह के शपथ पत्र के लिए नमूना</u>

मैं...पत्नी..
निवासी...
....
एतदद्वारा निम्नानुसार घोषित करती हूँ कि :-

1. कि मैं भारत का नागरिक हूँ
2. कि मेरा विवाह श्री...सुपुत्र..
   निवासी..से हुआ था
   तथा मैंने.......................................नाम के पुत्र/पुत्री को जन्म दिया था ।
3. कि मैंने दिनांक............................के कोर्ट आदेश सं..
   के तहत अपने पति से दिनांक..............................को तलाक लिया था ।
4. कि मैंने श्री...सुपुत्र...
   निवासी...
   से दिनांक..............................को विवाह पंजीकरण सं..
   के तहत पुर्नविवाह किया था ।
5. कि मेरे पुत्र/पुत्री..के पिता का नाम भविष्य में सभी
   प्रयोजनों के लिए..जाना जाए ।
6. कि यह मेरा निष्ठावान वक्तव्य है तथा यदि भविष्य में कोई असंगति पाई जाती है तो कानूनन
   मैं सजा की जिम्मेवार रहूँगी ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तलाक के पश्चात् पुर्नविवाह तथा तदनुसार बच्चे के पिता का नाम परिवर्तन के लिए नमूना प्रपत्र

सार्वजनिक सूचना

जन साधारण को यह सूचित किया जाता है कि मैं पत्नी श्री.. निवासी.. यह घोषणा करती हूँ कि मैंने अपने पति से दिनांक..........................को कोर्ट डिक्री सं.. .... के तहत तलाक ले लिया है । अब मैंने दिनांक............................को श्री.. से पुर्नविवाह कर लिया है । अत: मेरे पुत्र..तथा मेरी पुत्री...के पिता का नाम भविष्य में सभी प्रयोजनों के लिए श्री...माना जाएं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संबंध में मैंने सभी अन्य कानूनी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है ।

(आवेदक का नाम)
आवेदक के हस्ताक्षर

साक्षी सं. 1.
हस्ताक्षर...पूरा नाम...
पता...
....
मोबाइल/दूरभाष नं0..

साक्षी सं. 2.
हस्ताक्षर......................................पूरा नाम..
पता...
....
मोबाइल/दूरभाष नं0..